

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

गोपी

बनाम

रतनलाल जो अर्द्ध भागी, पुत्र्या राज देवी, राज जो अर्द्ध भागी

कस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 35/2022

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24/01/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती गोपी - गणेश पिता च्याली जी अर्द्ध भागी, सुसकाई
रातनलाल जो अर्द्ध भागी 210 मिहंपुरा, पुत्र्या राज देवी, राज जो अर्द्ध भागी
पिता श्री राज अम्बर, अलाही बाड़े 112 राजपुत्रा जो अर्द्ध भागी

निवासी- खलरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम गणेशपुरा (प.ह. कसौरी) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 697, 698, 1159 से 1167, 1174, 1175

कुल कीता 13 कुल रकबा 5.05 है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम गणेशपुरा (प.ह. कसौरी) स्थित खातेदारी की नूमे आराजी नम्बर 697, 698, 1159 से 1167, 1174, 1175

कुल कीता 13 रकबा 5.05 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 150000 रूपये अक्षरे एक हजार पत्र के रूप प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(रजम मुन्दर चित्तौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)



2022
52

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

क/सरिश्ता/प्रा.पत्र 35/2024 48

दिनांक 25/01/22

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

- प्रकरण : 1- 2 गोपी - गणेश पिता च्यानी जी भोई भाली 110 गजपत की शेकी
- 3- सुभाषि पिता शतलाल जी भोई भाली 110 तिहं पुर तह. कपामग
- 4- पुष्पा पिता स्व. श्री देवीलाल जी भोई भाली 110 गंगारार तह. गंगारार
- 5- अनादीकहि पिता शम्भूलाल जी भोई भाली 110 बडोरिया तह. चिमोडाह

खनाम

- 1- ~~अनैयलाल~~ 110 देवीलाल जी शरुज 110 धनेतकला
- 2- 4 नन्दलाल - किशोरलाल - नानालाल पिता नारजी शरुज 110 धनेतकला
- 3- गजलाल 110 चतरभुज जी तेली 110 धनेतकला
- 4- कलाश 110 सोगू जी भोई 110 गजपत की शेकी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम ^{गणेशपुरा} ~~(ख.ह.क.श.मो.)~~ खतौनी सं. ... 28
सन्वत् 2069 - 2072 में अकित आराजी नम्बर 697, 698, 1159 से 1167,
1174, 1175 कुल किता 13 रकबा 5.05 है. भूमि की
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) करु दिया जावें। खर्चा कमिश्नर
शुल्क रुपये 1500=00 अक्षर एक हजार पंच सौ रुपय मात्र प्रार्थी
वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावें।

(राम सुन्दर विश्वादी)
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)